न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2016-130(GCMS2016-00113)

1. नरपतसिंह पुत्र पाबूसिंह राजपूत
2. देवीसिंह पुत्र पाबूसिंह के कायममुकामान-
    - 2.1. शोभाकंवर पत्नी देवीसिंह राजपूत
    - 2.2. शंकरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत
    - 2.3. शिवसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत
    - 2.4. किरणकंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत
3. भवानीसिंह पुत्र पाबूसिंह राजपूत
4. अनोपसिंह पुत्र पाबूसिंह राजपूत

सभी निवासीगण ग्राम साथीन,
तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. ओमप्रकाश पुत्र जयराम
2. पारसराम पुत्र जयराम
3. नेमारामपुत्र जयराम
4. कनीदेवी पत्नी जयराम
   सभी जाति जाट (मुन्दियाडा)
   निवासीगण ग्राम साथी,
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर
6. प्रबन्धक, यूको बैंक
   शाखा खांगटा, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारीएवं सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 01 अगस्त 2016 राजस्व प्रकरण संख्या 333/2016 ओमप्रकाश व अन्य बनाम नरपतसिंह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सुगनमल परिहार श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1, 3 व चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पों. संख्या 5

निर्णय

दिनांक : 26 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 333/2016 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम नरपतसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 01 अगस्त 2016 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 28 अक्तूबर 2016 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा संख्या 1293 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रार्थीगण-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया और मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अगस्त 2016 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अगस्त 2016 की जानकारी अपीलाण्ट्स को नहीं थी, अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर 2016 को प्रार्थनापत्र का फैसला हो जाना बताये जाने पर अपीलाण्ट्स ने नकल दिलाये जाने हेतु अधिवक्ता से कहा और दिनांक 24 अक्तूबर 2016 को नकल प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई, तब आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी, जो अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि खातेदार पाबूसिंह पुत्र रतनसिंह द्वारा दिनांक 10 जून 1970 को ही स्टाम्प पेपर पर लिखित बख्शीशनामा से अपनी खातेदारी भूमि का अपने पुत्रों (अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण) के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया था, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 400 स्वीकृत होकर पाबूसिंह की खातेदारी के अन्य खसरान की भूमि के साथ-साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1293 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा साथीन नरपतसिंह ¼, देवीसिंह ¼, भगवानसिंह ¼ व अनोपसिंह ¼ पिसरान पाबूसिंह के नाम दर्ज कर दी गयी। जाहिर है कि उक्त बख्शीशनामा निष्पादित करने के बाद वादग्रस्त आराजी बाबत पाबूसिंह को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उक्त निष्पादित बख्शीशनामा के आधार पर म्युटेशन संख्या 400 स्वीकृत होने के बाद तथाकथित बेचाननामा व उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 540 के आधार पर जयराम अथवा प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार को किसी प्रकार के कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी बाबत प्राप्त नहीं होते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है, क्योंकि तथाकथित बेचाननामा निष्पादित किये जाने की दिनांक को वादग्रस्त आराजियात बाबत पाबूसिंह खातेदार नहीं रहा था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब स्थगन प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट्स ने पाबूसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि का जयराम या अन्य किसी के पक्ष में बेचान किये जाने का खण्डन भी किया था। जिस अवधि की जमाबंदी संवत 2029-2033 में प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपने पक्ष प्रविष्टि होना जाहिर किया जा रहा है, कार्यालय जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख) जोधपुर से अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त अवधि की जमाबंदी की नकल प्राप्त की गयी, उसमें ऐसी कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलाण्ट्स रिकार्डेड खातेदारान है जिनके खिलाफ कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 1293 रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा साथीन के खातेदार पाबूसिंह ने सम्पूर्ण रकबे में से 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि का बेचान जयराम (रेस्पो. संख्या एक से तीन के पिता एवं रेस्पो. संख्या चार के पति) के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया, उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन संख्या 540 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में केता जयराम के पक्ष में अमल दरामद किया गया और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चौसाला संवत 2029-2032 में केता जयराम का नाम उसकी कयशुदा भूमि बाबत बतौर खातेदार दर्ज हुआ, मगर इसके आगे संवत 2033-2036 की जमाबंदी तैयार करते समय पटवारी हळका द्वारा केता जयराम का नाम राजस्व रिकार्ड से बिना किसी आधार के मात्र लिपिकीय त्रुटिवश हटा दिया गया, जबकि मौके पर आदिनांक उक्त

कयशुदा भूमि, जिसके आस-पडौस स्टाम्प पेपर पर लिखित बेचाननामा में भी अंकित किये गये है, पर केता जयराम व उनके बाद उनके वारिसान रेस्पो. संख्या 1 से 4 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और जबाब स्थनग प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। पक्षकारान के अधिवक्ता की उपस्थिति एवं जानकारी स्वयं पक्षकार की उपस्थिति एवं जानकारी कानूनन मानी जाती है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए और जबाब स्थनग प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। पक्षकारान के अधिवक्ता की उपस्थिति एवं जानकारी स्वयं पक्षकार की उपस्थिति एवं जानकारी कानूनन मानी जाती है। अतः जाहिर है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को समुचित समय से ही जानकारी रही है, इसके उपरान्त भी आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स द्वारा निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। जिससे प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

न्यायहित में मामले के गुणावगुण बाबत उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पाबूसिंह की खातेदारी की अन्य खसरान वादग्रस्त भूमि सहित खसरा संख्या 1293 की भूमि बाबत अपीलाण्ट्स के पक्ष में म्युटेशन संख्या 400 स्वीकृत किया गया है, इसी प्रकार पाबूसिंह की खातेदारी के खसरा संख्या 1293 की भूमि में से 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाबत जयराम पुत्र पाबूराम जाट (प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 के पूर्वज) के पक्ष में म्युटेशन संख्या 540 स्वीकृत होकर जमाबंदी (खतौनी) संवत 2029-2032 ग्राम साथीन में अमल-दरामद हुआ है। जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारान के हक-हकूक व स्वत्व बाबत मूल वाद में विधिवत विवाद्यकों की रचना की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित विनिश्चयन किया जाना है। वर्तमान में विचारण न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेकीय अधिकारों का उपयोग कर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण-रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है। मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखे जाने एवं पक्षकारान के मध्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनावश्यक तनाव की स्थिति को रोकने की दृष्टि से अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित होने एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 अगस्त 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर